उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-7/2016/471/तीस-4-2016
दिनांक: दिनांक: 28 मार्च, 2016

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1998(अधिनियम संख्या-59 सन् 1988) की धारा 68 की उप धारा (3) के खण्ड (ग-क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, मंजिली गाड़ी चलाने के लिये, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित मार्गों को प्रत्येक के सम्मुख उक्त अनुसूची के स्तम्भ-1 में उल्लिखित संभागों में, निश्चित करते हैं:-

अनुसूची

संभाग	क्र0सं0	मार्ग का नाम
1	2	3
आगरा	1-	कुबेरपुर (आगरा) से सेक्टर-37 नोएडा वाया परिचौक, यमुना एक्सप्रेसवे

आज्ञा से,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-7/2016/471(1)/तीस-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 28 मार्च, 2016 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 200 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-7/2016/471(2)/तीस-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा, अलीगढ़ एवं गाजियाबाद सम्भाग, (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- मण्डलायुक्त, आगरा, अलीगढ़ एवं मेरठ।
4- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.7/2016/471/XXX-4-2016, dated March 28, 2016.

Notification

N0.7/2016/471/XXX-4-2016
Lucknow: Dated: March 28, 2016

In exercise of the powers under clause (ca) of sub-section (3) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988), the Governor is pleased to formulate the routes mentioned in column-3 of the Schedule below in the region mentioned against each in column-1 of the said Schedule for plying stage carriage.

SCHEDULE

Region	Name of the Routs
Agra	Kuberpur (Agra) to Sector-37 (Noida) Via Parichouck, Yamuna Expressway

By Order,

(Kumar Arvind Singh Deo)
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।